भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं.*155

जिसका उत्तर 28.11.2019 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटनाओं में शिकार व्यक्ति

*155. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सड़क प्रयोक्ता के रूप में पैदल चलने वालों के मरने की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तेलंगाना राज्य में, विशेषकर महबूबनगर के संदर्भ में ऐसी घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सड़क दुर्घटनाओं में शिकार व्यक्तियों के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सड़क दुर्घटनाओं में शिकार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई विधान लाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में सड़कों पर पैदल चलने वालों की मृत्यु/मारे जाने की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

'सड़क दुर्घटनाओं में शिकार व्यक्ति' के संबंध में श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 28.11. 2019 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *155 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : मंत्रालय सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सड़क यातायात दुर्घटनाओं का विश्लेषण करता है। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन कैलेंडर वर्ष अर्थात् 2016 से 2018 के दौरान सड़क प्रयोक्ता की श्रेणी के तहत मारे गए पैदल यात्रियों की कुल संख्या निम्नलिखित तालिका दी गई हैं:-

वर्ष	देश में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या	देश में सड़क प्रयोक्ता की श्रेणी में मारे गए पैदल यात्री
2016	1,50,785	15,746
2017	1,47,913	20,457
2018	1,51,417	22,656

(ख): मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं पर जिला-वार आंकड़े संग्रहित नहीं करता है। तथापि, पिछले तीन कैलेंडर वर्षों अर्थात् 2016 से 2018 के दौरान सड़क प्रयोक्ता की श्रेणी के तहत मारे गए पैदल यात्रियों की संख्या के संबंध में तेलंगाना राज्य सहित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र - वार विवरण **अनुलग्नक- I** में दिया गया है।

(ग) और (घ): मोटर यान अधिनियम, 1988 में तीसरे पक्ष का बीमा और सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजे के प्रारूप की व्यवस्था की गई है। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019, जो कि हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया है, सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए गोल्डन आवर उपचार, नगदी रहित उपचार और दावों के समयबद्ध निपटान की योजनाओं की व्यवस्था करता है। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 51 से धारा 57 में इसके प्रावधान निहित हैं।

(ड.): पीयूपी, सीयूपी, फुटपाथ, फुटओवर ब्रिज एवं पैदल यात्रियों के लिए अन्य सुविधाओं और ग्रेड सेप्रेटेड अन्य संरचनाओं आदि के प्रावधान, स्थल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एवं आईआरसी:एसपी:73-2018 ''पेव्ड शोल्डर सहित राजमार्गों को दो-लेन का बनाने के लिए विनिर्देशों और मानक के लिए मैनुअल'', आईआरसी:एसपी:84-2014 ''सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से राजमार्गों को चार-लेन का बनाने के लिए विनिर्देशों और मानकों के लिए मैनुअल'', आईआरसी:एसपी:87-2013 ''सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से राजमार्गों को छः-लेन का बनाने के लिए विनिर्देशों और मानकों के लिए मैनुअल'' में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विकास परियोजनाओं के डिजाइन के अभिन्न हिस्से हैं। इसके अलावा, आईआरसी ने ''पैदल यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिशानिर्देशों'' हेतु आईआरसी:103-2012 को भी प्रकाशित किया है।

सड़क सुरक्षा के संबंध में, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति में जागरुकता बढ़ाने, सड़क सुरक्षा सूचना डाटा बेस तैयार करने, कुशल परिवहन के अनुप्रयोग मानक सहित सुरक्षित सड़क संरचना को बढ़ावा देने, सुरक्षा कानूनों आदि का प्रवर्तन जैसे विभिन्न नीतिगत उपाय रेखांकित किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के मसलों से निपटने के लिए 4 ई अर्थात शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़कों और वाहनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल पर आधारित बहु-आयामी कार्य-नीति तैयार की है। इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में सड़क सुरक्षा के लिए जिले के माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र समिति गठित की है।

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है और अन्य विषयों में, यातायात उल्लंघन के लिए दंड में अत्यधिक बढ़ोतरी और उसकी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, किशोर चालक के लिए दंड बढ़ाना, गोल्डन आवर के दौरान नगदी रहित उपचार, वाहन की फिटनेस और चालन का कम्प्यूटरीकरण / स्वचालन और परीक्षण, दोषपूर्ण वाहनों को हटाना, तीसरे पक्ष की देयता का दायरा बढ़ाना और हिट एंड रन मामलों के लिए बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान आदि इसमें शामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i जागरुकता पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर समर्थन/प्रचार अभियान।

ii गुड स्मारिटन की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करना।

iii राज्यों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।

iv स्वचालित प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए 24 परीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्र की संस्वीकृति।

v राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, जिसका नाम “सुखद यात्रा 1033” है। इससे राजमार्ग प्रयोक्ता दुर्घटनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के गड्ढों और अन्य सुरक्षा खतरों की शिकायत कर सकते हैं।

vi राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क प्रयोक्ताओं के बीच सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है।

vii सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्न भाग के रूप में बनाया गया है।

viii राष्ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग के लिए शुरुआत को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है।

ix वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार किए गए हैं।

x राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉटों (दुर्घटना संभावित स्थलों) के अभिनिर्धारण और दोष निवारण को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

xi मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अभिनिर्धारित सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉटों के दोष निवारण के लिए विस्तृत प्राक्कलनों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को तकनीकी अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।

xii दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश भी सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं।

xiii भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) ने सड़क सुरक्षा संपरीक्षकों के लिए एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है और 42 संपरीक्षकों के पहले बैच को प्रमाणित किया है।

xiv माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार फाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/309/2016 / एस एंड आर दिनांकित 06-04-2017 और 01-06-2017 के परिपत्र के माध्यम से शराब की दुकानें हटाना।

अनुलग्नक- ।

'सड़क दुर्घटनाओं में शिकार व्यक्ति' के संबंध में श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 28.11. 2019 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *155 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कैलेंडर वर्ष 2016 से 2018 के दौरान पैदल यात्री की श्रेणी के तहत मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016	2017	2018
1	आंध्र प्रदेश	1251	1379	1569
2	अरुणाचल प्रदेश	0	3	8
3	असम	24	538	515
4	बिहार	200	769	756
5	छत्तीसगढ़	49	467	438
6	गोवा	59	47	49
7	गुजरात	697	985	1170
8	हरियाणा	1596	1071	1471
9	हिमाचल प्रदेश	214	171	182
10	जम्मू और कश्मीर	58	62	103
11	झारखंड	10	262	345
12	कर्नाटक	599	1054	1519
13	केरल	1246	1332	1250
14	मध्य प्रदेश	1627	1280	1504
15	महाराष्ट्र	2103	1831	2515
16	मणिपुर	4	15	21
17	मेघालय	32	46	25
18	मिजोरम	4	18	9
19	नगालैंड	1	5	7
20	ओडिशा	251	533	706
21	पंजाब	433	265	415
22	राजस्थान	898	863	1448
23	सिक्किम	3	10	3
24	तमिलनाडु	2966	3507	768
25	तेलंगाना	619	972	1093
26	त्रिपुरा	42	57	68
27	उत्तराखंड	18	127	146
28	उत्तर प्रदेश	284	1192	1366
29	पश्चिम बंगाल	72	1039	2618
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	9	6
31	चंडीगढ़	38	32	35
32	दादरा और नगर हवेली	9	2	22
33	दमन और दीव	7	9	11
34	दिल्ली	250	423	420
35	लक्षद्वीप	1	0	0
36	पुदुचेरी	76	82	75

जोड़	**15,746**	**20,457**	**22,656**

*****